

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022

प्रलिस के लयः

वशव आरथक मंच, ऊरजा ट्रांज़शिन सूचकांक, वैश्वक प्रतसिपर्द्धात्मकता रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्वक जोखमि रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल ँड टूरज़िम रिपोर्ट

मेन्स के लयः

वैश्वक चुनौतयों, कोवडि-19 का प्रभाव, पर्यावरणीय जोखमि, तकनीकी जोखमि, अंतरराष्ट्रीय जोखमि ।

चर्चा में क्यों?


हाल ही में **वशव आरथक मंच** द्वारा 'वैश्वक जोखमि रिपोर्ट-2022' जारी की गई । यह जोखमि वशिषज्जों और व्यापार, सरकार एवं नागरक समाज में वशव प्रतनिधियों के बीच वैश्वक जोखमि धारणाओं को ट्रेक करती है ।

- यह पाँच श्रेणयों में जोखमिों को ट्रेक करती है: आरथक, पर्यावरण, भू-राजनीतिक, सामाजक और तकनीकी ।

Top 10 Global Risks by Severity

Over the next 10 years

WORLD
ECONOMIC
FORUM



■ Economic ■ Environmental ■ Geopolitical ■ Societal ■ Technological

Source: World Economic Forum Global Risks Report 2022

//

प्रमुख बडि

- **कोवडि-19 का प्रभाव:** महामारी की शुरुआत के बाद से सामाजक और पर्यावरणीय जोखमि सबसे अधिक बढ़ गए हैं ।
 - 'सामाजक एकता में ह्रास', 'आजीविका संकट' और 'मानसक स्वास्थ्य में गरिबत' अगले दो वर्षों में दुनया के लय सबसे अधिक खतरे के रूप में देखे जाने वाले तीन प्रमुख जोखमिों हैं ।
 - इसके अलावा इसने "ऋण संकट", "साइबर सुरक्षा वफिलताओं", "डजिटल असमानता" और "वज्जान के खिलाफ प्रतक्रिया" में महत्त्वपूर्ण योगदान दया है ।
- **वैश्वक आरथक आउटलुक:** यह प्रमुख रूप से अल्पकालक आरथक दृष्टकोग को अस्थरि, खंडति, या तेज़ी से वनाशकारी मानता है ।
 - महामारी से बनी सबसे गंभीर चुनौती आरथक ठहराव है ।

- पर्यावरणीय जोखिम: "अत्यधिक मौसम" और "जलवायु कार्रवाई वफिलता" लघु, मध्यम और दीर्घकालिक दृष्टिकोणों में शीर्ष जोखिम के रूप में दिखाई देते हैं।
 - सरकारों, व्यवसायों और समाजों को नेट जीरो अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के लिये बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
- भू-राजनीतिक और तकनीकी जोखिम: लंबी अवधि में, भू-राजनीतिक और तकनीकी जोखिम भी चर्चा का विषय हैं, जिनमें "भू-आर्थिक टकराव", "भू-राजनीतिक संसाधन प्रतियोगिता" और "साइबर सुरक्षा वफिलता" शामिल हैं।
- अंतरराष्ट्रीय जोखिम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष दोहन, सीमा पार साइबर हमले और गलत सूचना व प्रवास एवं शरणार्थियों की अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं को शीर्ष रूप में दर्जा दिया गया था।
 - आर्थिक कठिनाई के रूप में बढ़ती असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव और राजनीतिक उत्पीड़न लाखों लोगों को बेहतर भविष्य की तलाश में अपना घर छोड़ने के लिये मजबूर करेंगे।
 - अंतरिक्ष पर्यटन के अलावा आने वाले दशकों में 70,000 उपग्रहों के प्रक्षेपण की संभावना, वनियमन की कमी के मध्य अंतरिक्ष में टकराव और बढ़ते अंतरिक्ष मलबे के जोखिम को बढ़ाएगी।

वशिव आर्थिक मंच

- वशिव आर्थिक मंच के बारे में:
 - वशिव आर्थिक मंच एक स्वसि गैर-लाभकारी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वटिज़रलैंड के जनिवा में है।
 - स्वसि/स्वटिज़रलैंड अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक-नजि सहयोग के लिये अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मशिन:
 - फोरम वैश्विक, कषेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक व शैक्षणिक कषेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लाउस श्वाब (Klaus Schwab)
- वशिव आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रपिर्ट्स:
 - [ऊर्जा संक्रमण सूचकांक](#)।
 - [वैश्विक प्रतिसिपरद्धात्मकता रपिर्ट](#)।
 - वैश्विक आईटी रपिर्ट।
 - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मलिकर इस रपिर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
 - [लैंगिक अंतराल रपिर्ट](#)।
 - वैश्विक जोखिम रपिर्ट।
 - [वैश्विक यात्रा और पर्यटन रपिर्ट](#)।
 - [पर्यावरणीय परदरशन सूचकांक](#)।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत और अमेरिका के बीच 'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग'

प्रलिमिस के लिये:

होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD, चार मूलभूत रक्षा समझौते, रक्षा अभ्यास, NISAR

मेन्स के लिये:

भारत-अमेरिका रक्षा और सुरक्षा सहयोग, भारत-अमेरिका संबंधों का महत्त्व, भारत-अमेरिका संबंधों के वभिन्न पहलू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था।

- अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने वदिशी सैन्य बकिरी (FMS) के तहत भारतीय नौसेना के लिये एमके 54 टॉरपीडो और एक्सपेंडेबल (चफ एंड

- फ्लेयर्स) की खरीद के लिये अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- जुलाई 2021 में अमेरिकी वदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया।

प्रमुख बंदि

परचिय:

- भारत-अमेरिका मातृभूमि सुरक्षा वार्ता 2010 में भारत-अमेरिका की आतंकवाद वरिधी पहल पर हस्ताक्षर करने की अगली कड़ी के रूप में शुरु की गई थी।
 - पहली होमलैंड सुरक्षा वार्ता मई 2011 में आयोजित की गई थी।
- नवीनतम आभासी बैठक मार्च 2021 के बाद हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फरि से शुरु करने की घोषणा की थी जिसे पूरव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बंद कर दिया था।
- इंडो-यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के तहत छह उप-समूह बनाए गए हैं, जो नमिनलखिति क्षेत्रों को कवर करते हैं:
 - अवैध वतित, वतितीय धोखाधड़ी और जालसाजी।
 - साइबर जानकारी।
 - मेगासटि पुलसिगि और संघीय, राज्य और स्थानीय भागीदारों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान।
 - वैश्विक आपूर्ता शृंखला, परविहन, बंदरगाह, सीमा और समुद्री सुरक्षा।
 - क्षमता नरिमाण।
 - प्रौद्योगिकी उन्नयन।

भारत-अमेरिका संबंध:

परचिय:

- भारत-अमेरिका द्वपिकषीय संबंध एक 'वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हुए हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्वपिकषीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक हितों के बढ़ते अभसिरण पर आधारित हैं।
- वर्ष 2015 में दोनों देशों ने 'दिल्ली डक्लिरेसन ऑफ फ्रेंडशिप' की घोषणा की और 'जॉइंट स्ट्रेटेजिक वज़िन फॉर एशिया-पैसिफिक एंड इंडियन ओसियन रिज़न' को अपनाया।

असैन्य-परमाणु सौदा:

- [द्वपिकषीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते](#) पर अक्टूबर 2008 में हस्ताक्षर किये गए थे।

ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:

- PACE (पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी)** के तहत एक प्राथमिकता पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा वभाग (DOE) और भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र (JCERDC) की स्थापना की है, जिसे भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- लीडर्स क्लाइमेट समिति 2021** में '[भारत-अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030](#)' पार्टनरशिप की शुरुआत की गई।

रक्षा समझौते:

- वर्ष 2005 में 'भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिये नए ढाँचे' पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा संबंध भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसे वर्ष 2015 में और 10 वर्षों के लिये अद्यतन किया गया था।
- भारत और अमेरिका ने पछिले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौते किये तथा [क्वाड](#) (भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया) के चार देशों के गठबंधन को भी औपचारिक रूप दिया।
 - इस गठबंधन को हदि-प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है।
- नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों में एक उच्च बंदि को स्पर्श किया, यह 13 वर्षों में पहली बार था कि 'क्वाड' के सभी चार देश एक साथ चीन का प्रतरीध कर रहे थे।
- भारत की पहुँच अब अफ्रीका में जंबूती से लेकर प्रशांत क्षेत्र के गुआम में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक है। भारत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक का भी उपयोग कर सकता है।
- भारत और अमेरिका के बीच चार मूलभूत रक्षा समझौते हैं:**
 - [भू-स्थानिक खफिया के लिये बुनियादी वनिमिय और सहयोग समझौता \(BECA\)](#)।
 - सैन्य सूचना समझौते पर सामान्य सुरक्षा (GSOMIA)।
 - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)।
 - [संचार संगतता और सुरक्षा समझौता \(COMCASA\)](#)।
- वर्ष 2010 में आतंकवाद का वरिध करने, सूचना साझा करने और क्षमता नरिमाण सहयोग का वसितार करने के लिये भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- एक त्रि-सेवा अभ्यास- टाइगर ट्रायम्फ- नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था।
- द्वपिकषीय और क्षेत्रीय अभ्यासों में शामिल हैं: युद्ध अभ्यास (सेना); [वज़र प्रहार](#) (वशिष बल); रमिपैक; रेड फ्लैग।

व्यापार:

- अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के नरियात के लिये एक प्रमुख गंतव्य है।
- अमेरिका ने 2020-21 के दौरान भारत में [प्रत्यक्ष वदेशी नविश](#) के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया है।
- पछिली अमेरिकी सरकार ने भारत की वशिष व्यापार स्थिति (GSP निकासी) को समाप्त कर दिया और कई प्रतबिध भी लगाए, भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतबिध लगाए।
- वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पछिली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतबिधों को हटाने की अनुमति दी है।

- **वजिज्ञान प्रौद्योगिकी:**
 - इसरो और नासा पृथ्वी अवलोकन के लिये एक संयुक्त माइक्रोवेव रमिटर सेंसिंग उपग्रह को स्थापित करने हेतु मलिकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम **NASA-ISRO सैटिक एपरचर रडार (NISAR)** है।
- **भारतीय प्रवासी:**
 - अमेरिका में सभी क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति बढ़ रही है। उदाहरण के लिये अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति (कमला हैरिस) का भारत से गहरा संबंध है।

आगे की राह

- अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी में बदलाव के लिये मंच तैयार किया गया है। अफगानिस्तान भारत और अमेरिका दोनों के लिये नरिंतर चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है तथा दोनों पक्षों की नज़र अब चीन के उदय एवं दावे से प्रेरित हृदि-प्रशांत क्षेत्र में उभर रही बड़ी चुनौतियों पर है।
- विशेष रूप से दोनों देशों में चीन वसिधी भावना बढ़ने के कारण देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की बहुत अधिक संभावना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कृष्णा जल विवाद

प्रलिमिंस के लिये:

नदी जल विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों, नल्लामाला पहाड़िया।

मेन्स के लिये:

कृष्णा नदी जल विवाद चुनौतियों और आगे का रास्ता, न्यायाधीशों का खंडन।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** के दो जजों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल के बँटवारे के विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

- उन्होंने इसका कारण बताया कि वे पक्षपात का **नशाना नहीं बनना चाहते क्योंकि विवाद उनके गृह राज्यों से संबंधित है।**

न्यायाधीशों का बहिष्कार

- यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के हतियों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही जैसी आधिकारिक कार्रवाई में भाग लेने से अनुपस्थिति रहने से संबंधित है।
- जब हतियों का टकराव होता है तो एक **न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट** सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का नरिणय करते समय पक्षपात किया है।
- **पुनर्मूल्यांकन को नरिंतरित करने वाले कोई औपचारिक नयिम** नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई नरिणयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
 - **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करती है।
 - न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं।

प्रमुख बटु

- **परिचय:**
 - वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार द्वारा उसे **"असंवैधानिक और अवैध"** तरीके से पीने एवं सचिाई के लिये पानी के अपने वैध हसिसे से वंचित कर दिया गया।
 - श्रीशैलम जलाशय का पानी, जो कदिनों राज्यों के बीच नदी के जल का मुख्य भंडारण है, संघर्ष का एक प्रमुख बटु बन गया है।

- आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना द्वारा बजिली उत्पादन हेतु श्रीशैलम जलाशय के पानी के उपयोग का वरिष्ठ कथित।
- श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है।
- इसने आगे तर्क दिया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत गठित शीर्ष परषिद में लिये गए नरिणयों, इस अधिनियम के तहत गठित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के नरिदेशों और केंद्र के नरिदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा है।

■ पृष्ठभूमि:

○ कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण:

- वर्ष 1969 में 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के तहत 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' (KWDT) को स्थापित किया गया था और इसने वर्ष 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- साथ ही यह भी नरिधारित किया गया था कि 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' आदेश की समीक्षा या संशोधन किसी संक्षम प्राधिकारी या न्यायाधिकरण द्वारा 31 मई, 2000 के बाद किसी भी समय किया जा सकता है।

○ दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण

- वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2010 में दिये गए नरिणय में अधिशेष जल का 81 TMC महाराष्ट्र को, 177 TMC कर्नाटक को तथा 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित किया गया था।

○ KWDT की वर्ष 2010 की रिपोर्ट के बाद:

- आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी थी।
- वर्ष 2013 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 'आगे की रिपोर्ट' जारी की, जिस वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने फरि से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

○ तेलंगाना का नरिमाण:

- तेलंगाना के नरिमाण के बाद आंध्र प्रदेश ने कहा है कि तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा जल के आवंटन को तीन के बजाय चार राज्यों के बीच फरि से वितरित किया जाए।
 - यह आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 पर आधारित है।
 - इस खंड के प्रयोजनों हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियत दिन को या उससे पहले टरबियूनल द्वारा पहले से कथित गए परयोजना-वशिष्ट आवंटन संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।

■ संवैधानिक प्रावधान:

○ अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संवैधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।

- इसके तहत संसद किसी भी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नरियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शकियत के न्यायनरिणयन का प्रावधान कर सकती है।

○ संसद ने दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।

- नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act) अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नयिमन एवं विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water Disputes Act) केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के नरिणय हेतु एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।
 - किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार कषेत्र है, जसि इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है।

कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **द्रेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गरिने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 कमी), उत्तरी कर्नाटक (480 कमी) और शेष 1300 कमी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:** तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डडि, मुसी और दूधगंगा।



आगे की राह

- जल विवादों का समाधान या संतुलन तभी कथिा जा सकता है जब ट्रिब्यूनल द्वारा दयि गए नरिणयों पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ एक स्थायी ट्रिब्यूनल स्थापति कथिा जाए ।
- कसिी भी संवैधानिकि सरकार का तात्कालिकि लक्ष्य अनुच्छेद 262 में संशोधन और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन तथा उसका समान रूप से क्रयिान्वयन होना चाहयि ।
- यह समय है कहिम सभी को जल प्रबंधन के बारे में अपनी रणनीति पर पुनर्वचिार करना चाहयि, न केवल राज्यों के भीतर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अगले 30 वर्षों में जल परदृश्य को ध्यान में रखते हुए आम सहमति के लयि संचार के चैनलों में सख्ती से सुधार करने की ज़रूरत है ।
- तंत्र को इस तरह से सुधारना चाहयि कि केंद्र द्वारा बनाए गए नकियाय को राज्यों के हतियों की रक्षा के लयि पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मलिे ।

स्रोत: द हट्टू

उत्तर कोरयिा पर अमेरकिी प्रतिबंध

प्रलिमिस के लयि:

उत्तर कोरयिाई मसिाइल लॉन्च, कोरयिाई युद्धवरिम समझौता ।

मेन्स के लयि:

कोरयिाई युद्ध, कोरयिाई युद्धवरिम समझौता, शीत युद्ध, वर्ष 2003 में अप्रसार संधि (NPT), 'थाड' (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरयिा डफिेंस), उत्तर कोरयिा पर अमेरकिी प्रतिबंध ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरकिा ने उत्तर कोरयिा के मसिाइल कार्यक्रमों की एक शृंखला के बाद उत्तर कोरयिा के हथयिार कार्यक्रमों पर अपना पहला प्रतिबंध लगाया है ।

- इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उत्तर कोरयिा के कार्यक्रमों की प्रगतिको रोकना और हथयिार प्रौद्योगकियियों के प्रसार के उसके प्रयासों को बाधति करना है ।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों और कूटनीति एवं परमाणु नरिसुत्रीकरण के लयि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आह्वान के बावजूद उत्तर कोरयिा अपने मसिाइल कार्यक्रम को जारी रखे हुए है ।

प्रमुख बदि

■ कोरियाई प्रायद्वीप में फूट की उत्पत्ति:

- अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच वर्तमान संघर्ष का इतिहास सोवियत संघ व अमेरिका के बीच **शीत युद्ध** में खोजा जा सकता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध** में जापान की हार के बाद 'याल्टा सम्मेलन' (1945) में मतिर देशों की सेना 'कोरिया पर फोर-पावर ट्रस्टीशिप' स्थापित करने हेतु सहमत हुई।
- 'साम्यवाद' (किसी देश के आर्थिक संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व) के प्रसार के डर और सोवियत संघ व अमेरिका के बीच आपसी अविश्वास के कारण ट्रस्टीशिप योजना विफल हो गई।
 - इससे पहले कि कोई ठोस योजना तैयार की जा सके, सोवियत संघ ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया।
 - इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहाँ कोरिया का उत्तर क्षेत्र यूएसएसआर के अधीन तथा दक्षिण क्षेत्र ओर उसके बाकी सहयोगी, मुख्य रूप से अमेरिका के अधीन थे।
 - 38वें समानांतर रेखा द्वारा कोरियाई प्रायद्वीप को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।
- वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरे कोरिया में स्वतंत्र चुनाव का प्रस्ताव रखा।
 - यूएसएसआर ने इस योजना को खारजि कर दिया और उत्तरी भाग को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) के रूप में घोषित किया गया।
 - चुनाव अमेरिकी संरक्षण में हुआ जिसके परिणामस्वरूप कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) की स्थापना हुई।
- उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ने क्षेत्रीय एवं वैचारिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश की, जिसने कोरियाई संघर्ष को जन्म दिया।



■ कोरियाई युद्ध:

- उत्तर कोरिया ने USSR के समर्थन से 25 जून, 1950 को दक्षिण कोरिया पर हमला किया और अंततः उसके अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया।
 - बदले में अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र बल ने जवाबी कार्रवाई की।
- वर्ष 1951 में डगलस मैकआर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 38वें समानांतर रेखा को पार किया और उत्तर कोरिया के समर्थन से चीन में अपने प्रवेश को गता दी।
 - बाद में वर्ष 1951 में अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिये शांति वार्ता शुरू हुई।
- भारत सभी प्रमुख हतिधारकों अमेरिका, यूएसएसआर और चीन को शामिल करके कोरियाई प्रायद्वीप में शांति वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल था।
 - वर्ष 1952 में कोरिया पर भारतीय के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपनाया गया था।
- 27 जुलाई, 1953 को संयुक्त राष्ट्र कमान, कोरियाई पीपुल्स आर्मी और चीनी पीपुल्स वालंटियर आर्मी के मध्य कोरियाई युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - इसने शांति संधि के बिना एक आधिकारिक युद्धविराम का नेतृत्व किया। इस प्रकार युद्ध आधिकारिक तौर पर कभी समाप्त नहीं हुआ।
- इसने 'कोरियाई डमिलिटिआइज़्ड ज़ोन' (DMZ) की स्थापना का भी नेतृत्व किया जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बफर ज़ोन के रूप में काम करने के लिये कोरियाई प्रायद्वीप में भूमि की एक पट्टी है।
- दिसंबर 1991 में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आक्रामकता से बचने के लिये सहमत वियक्त की गई थी।

■ अमेरिका-उत्तर कोरिया संघर्ष:

- शीत युद्ध के दौर में (कथित रूप से रूस और चीन के समर्थन से) उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में तेज़ी लायी और परमाणु क्षमता विकसित की।
 - उसी दौरान अमेरिका ने अपने सहयोगियों यानी **दक्षिण कोरिया और जापान** के लिये अपने **न्यूक्लियर अम्बरेला** (परमाणु हमले

के दौरान समर्थन की गारंटी) का वस्तुतः किया।

- उत्तर कोरिया वर्ष 2003 में [अप्रसार संधि \(एनपीटी\)](#) से हट गया और बाद में वर्तमान नेता कमि जोंग-उन के तहत उसने परमाणु मसिाइल परीक्षण में वृद्धि की।
 - उत्तर कोरिया को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत [बैलसिटिकि मसिाइलों और परमाणु हथियारों के परीक्षण](#) से रोक दिया गया है।
 - इसके जवाब में अमेरिका ने मार्च 2017 में दक्षिण कोरिया में [THAAD \(टरमिनल हाई एलटीटयूड एरिया डफिंस\)](#) को तैनात किया।
 - उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ [क्षेत्रीय संघर्ष अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच](#) की तकरार में तब्दील हो गया है।
 - उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने के [राजनयिक प्रयासों की वफिलता के बाद अमेरिका ने प्रतबिंध लगाए हैं](#)।
- **भारत का रुख:**
- भारत लगातार उत्तर कोरिया के [परमाणु और मसिाइल परीक्षणों का वरिध](#) करता रहा है। हालाँकि इसने [प्रतबिंधों को लेकर तटस्थ रुख बनाए रखा है](#)।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

लोक अदालत

प्रलिमिंस के लिये:

लोक अदालत, नालसा, वैकल्पिक विवाद समाधान।

मेन्स के लिये:

लोक अदालत और संबंधित क्षेत्राधिकार तथा इसके महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान के सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में उभरी है।

- वर्ष 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का नपिटारा किया गया। [ई-लोक अदालतों जैसी तकनीकी प्रगतिके कारण लोक अदालतें पारटियों के दरवाजे तक पहुँच गई हैं](#)।

प्रमुख बडि:

परचिय:

- 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।
- [सर्वोच्च न्यायालय](#) के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनरिणयन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
- यह [वैकल्पिक विवाद समाधान \(ADR\) प्रणाली](#) के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
- पहला [लोक अदालत शिविरि वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी](#) के रूप में बना किसी वैधानिक समर्थन के नरिणयों हेतु आयोजित किया गया था।
- समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे [कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987](#) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह अधिनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है।

संगठन:

- राज्य/ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतराल और स्थानों पर तथा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लिये [लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है](#) जिन्हें वह उचित समझे।
- किसी क्षेत्र के लिये आयोजित [प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानवृत्त न्यायिक अधिकारी](#) और क्षेत्र के अन्य व्यक्त शामिल होंगे, जैसा कि [आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा नरिदष्टि किया जाएगा](#) है।
 - सामान्यतः एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील (अधिवक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- [राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण](#) (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
 - NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को किया गया था जो समाज के कमजोर

- वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापति करने के लिये लागू हुआ था।
- सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से नपिटने के लिये स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन किया गया था।

■ क्षेत्राधिकार:

- लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिये पक्षों के बीच समझौता या समझौता करने और तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा:
 - किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला, या
 - कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।
- अदालत के समक्ष लंबित किसी भी मामले को नपिटाने के लिये लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:
 - दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को नपिटाने के लिये सहमत हो या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
 - पूर्व-मुकदमेबाज़ी के मामले में विवाद के किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगार मुआवज़े के मामले, बैंक वसूली से संबंधित आदि मामले लोक अदालतों में उठाए जा रहे हैं।
- हालाँकि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो अपराध किसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।

■ शक्तियाँ:

- लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सविलि प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत एक सविलि कोर्ट में नहित होती हैं।
- इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।
- लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
- लोक अदालत का फैसला किसी दीवानी अदालत की डिक्री या किसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।
- लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक नरिणय विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतिम और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।

■ महत्त्व:

- इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का नपिटारा होने पर राशा वापस कर दी जाएगी।
- विवाद नपिटने हेतु प्रक्रियात्मक लचीलापन और त्वरति सुनिवार्य होती है। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रियात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
- विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नयिमति अदालतों में संभव नहीं है।
- लोक अदालत द्वारा जाने वाला नरिणय सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सविलि कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के नपिटारे में देरी नहीं होती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारत के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में चुनौतियाँ

प्रलिमिंस के लिये:

अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के लिये योजनाएँ और कार्यक्रम

मेन्स के लिये:

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, चुनौतियाँ और इसे प्राप्त करने के लिये शुरू की गई प्रमुख पहल।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत [रूफटॉप सोलर योजना](#) के तहत अक्टूबर 2021 के अंत तक सरिफ 6GW रूफटॉप सोलर (RTS) बजिली स्थापति कर सका।

- हालाँकि उपयोगिता-पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिये अग्रणी खलिाइयों के साथ जबरदस्त प्रगति देखी गई है और टैरिफि में गरिावट एवं मेगा

परियोजनाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकारी एजेंसियाँ आरटीएस उपेक्षित बनी हुई हैं।

रूफटॉप सोलर

- रूफटॉप सोलर एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें बजिली पैदा करने वाले सौर पैनल आवासीय या व्यावसायिक भवन या संरचना की छत पर लगे होते हैं।
- रूफटॉप माउंटेड सस्टिम मेगावाट रेंज में क्षमता वाले ग्राउंड-माउंटेड फोटोवोल्टिक पावर स्टेशनों की तुलना में छोटे होते हैं।
- आवासीय भवनों पर रूफटॉप पीवी सस्टिम में आमतौर पर लगभग 5 से 20 किलोवाट (kW) की क्षमता होती है, जबकि वाणिज्यिक भवनों पर 100 किलोवाट या उससे अधिक पहुँच जाती है।

प्रमुख बट्टि

- रूफटॉप सोलर योजना:
 - योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।
 - साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर योजना के चरण 2 के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
 - इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40 गीगावाट की अंतिम क्षमता हासिल करना है।
 - 40GW का लक्ष्य 175GW के नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है, जिसमें वर्ष 2022 तक 100GW सौर ऊर्जा शामिल है।
 - सितंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉकडाउन ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतष्ठानों की गति को धीमा कर दिया और ऐसे प्रतष्ठानों की गति भारत के वर्ष 2022 के लक्ष्य से पीछे है।
- चुनौतियाँ
 - फ्लिप-फ्लॉपिंग नीतियाँ:
 - हालाँकि कई कंपनियों ने सौर ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, कति 'फ्लिप-फ्लॉपिंग' नीतियाँ (नीतियों का अचानक परिवर्तन) इस संबंध में एक बड़ी बाधा बनी हुई है, खासकर जब बजिली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संदर्भ में।
 - उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि जब डिस्कॉम और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र के लिये नियमों को कड़ा करना शुरू किया तो RTS कई उपभोक्ता क्षेत्रों के लिये आकर्षक होता जा रहा था।
 - भारत के [वसुतु और सेवा कर](#) (GST) परषिद ने हाल ही में सौर प्रणाली के कई घटकों के GST को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है।
 - इससे RTS की पूंजीगत लागत 4-5% बढ़ जाणी।
 - नयामक ढाँचा:
 - RTS खंड का विकास नयामक ढाँचे पर अत्यधिक निर्भर है।
 - धीमी वृद्धि मुख्य रूप से RTS खंड हेतु राज्य-स्तरीय नीति समर्थन की अनुपस्थिति या वापसी के कारण हुई है, विशेष रूप से व्यापार और औद्योगिक खंड के लिये, जो लक्षित उपभोक्ताओं का बड़ा हिस्सा है।
 - नेट और ग्राँस मीटरिंग पर असंगत नयिम:
 - नेट मीटरिंग नयिम इस क्षेत्र की प्रमुख बाधाओं में से एक है।
 - एक रिपोर्ट के अनुसार, बजिली मंत्रालय के नए नयिम, जो 10 किलोवाट (kW) से ऊपर के रूफटॉप सोलर सस्टिम को नेट-मीटरिंग से बाहर रखते हैं, भारत में बड़े इंस्टॉलेशन को अपनाते से देश के रूफटॉप सोलर टारगेट को प्रभावित करेंगे।
 - नए नयिमों में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिये 10 kW तक नेट-मीटरिंग और 10 kW से ऊपर के लोड वाले सस्टिम के लिये ग्राँस मीटरिंग अनविर्य है।
 - नेट मीटरिंग आरटीएस सस्टिम द्वारा उत्पादित अधिशेष बजिली को ग्रिड में वापस फीड करने की अनुमति देता है।
 - सकल मीटरिंग योजना के तहत, राज्य बजिली वितरण कंपनियों (DISCOMS) उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड को आपूर्ति की जाने वाली सौर ऊर्जा के लिये एक नशिचति फीड-इन-टैरिफि के साथ उपभोक्ताओं को मुआवज़ा देती है।
 - कम वतितपोषण:
 - वाणिज्यिक संस्थान और आवासीय क्षेत्र बैंक ऋण प्राप्त करके ग्रिड से जुड़े आरटीएस स्थापित करने के इच्छुक हैं।
 - केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बैंकों को आरटीएस के लिये रियायती दरों पर ऋण देने की सलाह दी है। हालाँकि राष्ट्रीयकृत बैंक शायद ही RTS को ऋण देते हैं।
 - इस प्रकार कई नजि संस्थान बाज़ार में आ गए हैं जो आरटीएस के लिये 10-12% जैसी उच्च दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये योजनाएँ:

- अल्ट्रा मेगा रनियूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिये योजना: यह मौजूदा सौर पार्क योजना के तहत अल्ट्रा मेगा रनियूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPPs) वकिसति करने की एक योजना है।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2018: इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, बुनयिदी ढाँचे और भूमि के इष्टतम व कुशल उपयोग के लिये ग्रिड कनेक्टेड वडि-सोलर पीवी सस्टिम (Wind-Solar PV Hybrid Systems) को बढ़ावा देने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत करना है।

- अटल ज्योति योजना (AJAY): AJAY योजना को सितंबर 2016 में ग्रिड पावर (2011 की जनगणना के अनुसार) में 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (Solar Street Lighting- SSL) सिस्टम की स्थापना के लिये शुरू किया गया था।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) : ISA, भारत की एक पहल है जिसे 30 नवंबर, 2015 को पेरिस, फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा पार्टियों के सम्मेलन (COP-21) में शुरू किया गया था। इस संगठन के सदस्य देशों में वे 121 सौर संसाधन संपन्न देश शामिल हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से करक और मकर रेखा के मध्य स्थिति हैं।
- वन सन, वन वरल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG): यह वैश्विक सहयोग को सुवधाजनक बनाने हेतु एक रूपरेखा पर केंद्रित है, जो परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर उसे साझा करता है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक हिस्सा)।
- सूर्यमतिर कौशल विकास कार्यक्रम: इसका उद्देश्य सौर प्रतष्ठानों की नगिरानी हेतु ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

आगे की राह

- RTS को आसान वित्तपोषण, अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग और एक आसान नियामक प्रक्रिया की आवश्यकता है। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों व अन्य प्रमुख उधारदाताओं को खंड को उधार देने के लिये निर्धारित किया जा सकता है।
- भारतीय RTS खंड की चुनौतियों का सामना करने के लिये कुछ मौजूदा बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट को अनुकूलित किया जा सकता है जिससे इस क्षेत्र को डेवलपर्स के लिये और अधिक आकर्षक बना दिया जा सकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/13-01-2022/print>

